


12-7-24

7

12.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली आई। प्रार्थी वकील अनुउपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं हो रही है। पत्रावली काफी समय से तलबी मे चल रही है। प्रार्थी अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नहीं आए। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

